संख्या– /XVIII(II)/2018–02(34)/2008 टी0सी0

प्रेषक,

हरबंस सिंह चुघ,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 12, मार्च, 2018

विषयः–ग्राम झाझरा, तहसील विकासनगर में विज्ञान प्रौद्योगिक विभाग को भूमि आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–122/12ए–29(2017–18) डी0एल0आर0सी0, दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम झाझरा, तहसील विकासनगर में साइंस सिटी की स्थापना हेतु विज्ञान प्रौद्योगिक विभाग, उत्तराखण्ड को खाता संख्या–1,291,297,435,77,218,509 व 688 पर अंकित खसरा नं0–1167ख/0.4430,1168ग/0.1290,1169क/0.0700,1169ख/0.1220,1170ग/0.3210,1170ज/0.3890,1175क/0.6110,1178क/0.3260,1178ख/0.1500,1178ग/0.1340,1179क/0.2970,1179ख/0.2410,1180क/0.2500,1177ड़/1.2160, 1180ख/0.0600 कुल क्षेत्रफल 4.7590 है0 भूमि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

2– इस परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–02–02 शासनादेश संख्या–111/XXVII(7) 50(39)/2015/2014, दिनांक–09–07–1015, शासनादेश संख्या–1887/XVIII(II)/2015–18(169)/2015, दिनांक 30 जुलाई, 2015 के प्राविधानों के अधीन "साइन्स सिटी" की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क आवंटित/हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

(2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

(3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

(5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

(6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

(7) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

...2

(8) प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी)संख्या–3109 /2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 09 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरबंस सिंह चुघ)
प्रभारी सचिव।

संख्या– 403-A/ XVIII(II)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृष्ण सिंह)
संयुक्त सचिव।